

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 22/2023-State Tax

Dated: 11.07.2024

No. F.3(03)/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/ 577/ — In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Government Notification No. 73/2017– State Tax, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (80)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/57, dated 31st Jan, 2018 namely:—

In the said notification, in the sixth proviso, for the words, letter and figure “30th day of June,2023” the words, letter and figure “31st day of August, 2023” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 30th day of June, 2023.

Note: The principal notification No. 73/2017– State Tax, was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (80)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/57, dated 31st Jan, 2018 and was last amended *vide* notification number 02/2023 – State Tax, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (16)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/1058, dated 15th December, 2023.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,



(Ravinder Kumar)

Dy. Secretary (Exp.-I)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या-22/2023-राज्य कर

दिनांक: 11/07/2024


सं.फा.3(03)/वित्त(व्यय-1)/2024-25/डीएस-1/57/ :राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 03) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में, सं.फा.03(80)/वित्त(राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/57, तारीख 31 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित इस सरकार की अधिसूचना सं. 73/2017-राज्य कर का निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में छठवाँ परंतुक में, शब्दों, अक्षरों और अंकों, "30 जून, 2023" के स्थान पर, शब्दों, अक्षरों और अंकों, "31 अगस्त, 2023" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 30 जून, 2023 से प्रभावी मानी जाएगी।

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 73/2017-राज्य कर दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में, सं.फा. 03(80)/वित्त(राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/57, तारीख 31 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में, सं.फा.03(16)/वित्त(व्यय-1) 2023-24/डीएस-1/1058, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 02/2023-राज्य कर, तारीख 15 दिसम्बर, 2023 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर


(रविन्द्र कुमार)

उप सचिव (व्यय-1)

सं.फा.3(03)/वित्त(व्यय-1)/2024-25/डीएस-1/57/

दिनांक: 11/07/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 प्रधान आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।